रजिस्ट्री सं. डी.--(डी. एन.)--73

REGISTERED NO. D--(DN)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 1986 (ज्येष्ठ 3, 1908)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 1986 (JYAISTHA 3, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड-1--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	393
भाग I--खण्ड-2--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	581
भाग I--खंड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	811
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II--खण्ड-1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II--खंड-3--उप-खंड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खंड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . . .	*
भाग II--खंड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . .	*
भाग III--खंड 1--उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	18855
भाग III--खंड 2--पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . .	357
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	—
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	961
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . .	85
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	393
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	581
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	811
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	18855
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	357
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	961
PAR IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	85
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. Not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

आंतरिक सुरक्षा विभाग

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल, 1986

संकल्प

सं० 6/2/85-दण्डक (डैस्क)—संकल्प सं० 6/2/85-दण्डक (डैस्क) दिनांक 31 जनवरी, 1985 में आंशिक संशोधन करके निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं :—

के लिए	पढ़ें
गृह मंत्रालय में आदिवासी कल्याण से सम्बन्धित संयुक्त सचिव/अपर सचिव	कल्याण मंत्रालय में आदिवासी कल्याण से संबन्धित संयुक्त सचिव/अपर सचिव।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाये :—

सभी राज्य सरकारें/भारत सरकार के सभी मंत्रालय, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमन्त्री सचिवालय, भारत के राष्ट्रपति के सचिव, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सभी महालेखा-कार, उपलेखा नियंत्रक (पुनर्वास), मानसिंह रोड, नई दिल्ली, रेलवे बोर्ड, आपूर्ति एवं निपटान, महानिदेशक, मुख्य प्रशासक, दण्डकारण्य परियोजना, कोरापुट (उड़ीसा)

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन-साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए

एम० के० बसु, संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 1986

संकल्प

सं० एफ० 6(1)-पी०डी०/86—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 1986-87 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर ब्याज की दर 12.00 प्रतिशत (बारह प्रतिशत) वार्षिक होगी। यह दर पहली अप्रैल, 1986 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित है :—

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें०)
2. राज्य रेलवे भविष्यनिधि।
3. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवायें)
4. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
5. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
8. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
9. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
10. भारतीय नौ सेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
11. अन्य विविध भविष्य निधियाँ

2. कोई प्रोत्साहन बोनस अलग से नहीं दिया जाएगा। जिन मामलों में वर्ष के दौरान निकासी न जो अस्थाई अग्रिम के रूप में हो की जाएगी, उनमें निकाली गई राशि के एक प्रतिशत के बराबर, निकटतम रुपए तक पूर्वोक्त राशि, अभिदाता के खाते में जमा की जाने वाली ब्याज की राशि में से घटा दी जाएगी।

3. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

वी० बालासुब्रह्मण्यन, अपर बजट अधिकारी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च, 1986

संकल्प

विषय : जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम (औपचारिक शिक्षा पद्धति)

सं० एफ० 12-22/85 स्कूल-4—सरकार ने, संकल्प संख्या एफ० 12 24/80 स्कूल-4 दिनांक 1 अगस्त, 1980 के जरिए जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम (औपचारिक शिक्षा पद्धति) के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया था। राष्ट्रीय संचालन समिति का पुनः गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।

(ii) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

(iii) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय करना।

(iv) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गति का समय-समय पर पुनरीक्षा तथा मूल्यांकन करना।

2. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

अध्यक्ष

सचिव,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सदस्य

2. निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद।

3. सलाहकार (शिक्षा)
योजना-आयोग।

4. वित्त-सलाहकार
शिक्षा विभाग ।

5. संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय

6. संयुक्त सचिव,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

7. सचिव,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

8. अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ।

9. डॉ० सुनील मिश्रा
(दर्शक तथा अनुसन्धान ईकाई)
आकाशवाणी, नई दिल्ली

10. श्रीमती अवाबाई बी० वाडिया,
अध्यक्ष,
भारतीय परिवार नियोजन संघ, बम्बई ।

11. प्रो० टी० एस० सेहूना,
विश्व-बैंक परामर्शदाता

12. परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद ।

13. निदेशक,
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ।

सदस्य-सचिव

14. संयुक्त-सचिव (स्कूल)
शिक्षा विभाग ।

3. समिति कार्य की अपनी क्रियाविधि निश्चित करेगी यह समिति तथा उप-समितियाँ नियुक्त कर सकती है और समिति की विशेष बैठक तथा इसकी उप-समितियों का काम करने के लिए व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है।

4. परियोजना की अवधि पाँच वर्ष (अप्रैल 1985 मार्च, 1990) समिति के सदस्यों का कार्य काल 31 मार्च, 1990 को समाप्त हो जाएगा।

5. समिति की बैठक आवश्यकता पड़ने पर होंगी लेकिन एक वर्ष में दो बार से कम नहीं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभाग/विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग प्रधान मन्त्री कार्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद को दी जाएगी ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जन-साधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

योगेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव ।

ऊर्जा मंत्रालय

कोयला विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 1986

संकल्प

फा० सं० ई.-11016/5/85-हिंदी—भारत सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति बनाने का निर्णय किया है। समिति का गठन, कार्य तथा कार्यकाल आदि निम्नलिखित होंगे:—

गठन :

ऊर्जा मंत्री	—अध्यक्ष
1. श्री महेन्द्र प्रसाद, संसद सदस्य	—सदस्य
2. श्री विट्ठलराव जाधव, संसद सदस्य	—सदस्य
3. श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, संसद सदस्य	—सदस्य
4. श्री राज कुमार राय, संसद सदस्य	—सदस्य
5. श्री हुकुम देव नारायण यादव, संसद सदस्य	—सदस्य
6. श्री विजय कुमार यादव, संसद सदस्य	—सदस्य
7. श्री गंगा शरण सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली ।	—सदस्य
8. श्री आंजनेय शर्मा, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) ।	—सदस्य
9. श्री श्यामा चन्द्र तिवारी, 2-ए, सरोजिनी नायडू मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।	—सदस्य
10. श्री मधुकर राव चौधरी, अध्यक्ष, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा (महाराष्ट्र) ।	—सदस्य
11. डा० वामोदर खड़से, 4 बी/18, सुदामा अपार्टमेन्ट्स, बम्बई-पूणे रोड़, कलवा—ठाणे-400605.	—सदस्य
12. श्री विष्णुदत्त मिश्र, गुप्ता भवन, अशोक चौक, बुद्ध नगर, नागपुर (महाराष्ट्र) ।	—सदस्य
13. डा० सरोज अग्रवाल, प्राध्यापक, उप्पल रोड़, हैदराबाद (आं० प्र०) ।	—सदस्य
14. श्री अशोक चक्रधर, प्राध्यापक, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, दिल्ली ।	—सदस्य
15. सचिव, कोयला विभाग	—सदस्य
16. सचिव, राजभाषा विभाग	—सदस्य
17. अपर सचिव, कोयला विभाग	—सदस्य
18. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	—सदस्य
19. संयुक्त सचिव (राजभाषा), कोयला विभाग	—सदस्य सचिव
20. कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त	—सदस्य
21. अध्यक्ष, कोल इंडिया लि०	—सदस्य
22. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारत कोकिंग कोल लि०	—सदस्य
23. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	
24. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	—सदस्य
25. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	—सदस्य
26. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नार्दन कोलफील्ड्स लि०	—सदस्य
27. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०	—सदस्य

28 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, —सदस्य

29. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० —सदस्य

2. कार्य :

यह समिति सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और संबंद्ध मामलों पर ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) को सलाह देगी ।

3. कार्य अवधि :

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, परन्तु

(क) समिति में नामजद संसद सदस्य उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होते ही इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे ।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक ही समिति के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर रहें जिसके कारण वे समिति के सदस्य बने हैं ।

(ग) समिति में मध्यावधि में ही रिक्त हुए स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष की अवधि के बाकी समय के लिए ही पदधारी रहेंगे ।

4. विविध :

(क) समिति आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी अथवा उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी ।

(ख) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है ।

(ग) समिति और इस समिति की उप समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य निगमों और विविध, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

विजय शंकर दुबे, संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 1986

संकल्प

सं० 22/7/80-परि० एक—नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण के निर्णय के अनुसरण में, तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय के 4 सितम्बर, 1980 के संकल्प संख्या 22/7/80-परि० एक द्वारा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का गठन किया गया था । सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का गठन बताते हुए संकल्प के पैरा 2 में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है :—

(क) वर्तमान प्रविष्टियां (i) और (v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

(i) जल संसाधन के प्रभारी भारत सरकार के सचिव — अध्यक्ष

(v) जल संसाधन मंत्रालय में वित्त सलाहकार — सदस्य

(ख) वर्तमान अन्तिम भाग के लिए, निम्नलिखित रखा जाये:— "अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकता है"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों, भारत के महा नियंत्रक और लेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री, कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और योजना आयोग को भेजा जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाय कि इसे आम सूचना के लिए राज्य गजट में प्रकाशित किया जाये ।

बीनू सेन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY

(REHABILITATION DIVISION)

New Delhi-11, the 3rd April 1986

RESOLUTION

No. 6/2/85-DNK Desk.—In partial modification of Resolution No. 6/2/85-DNK Desk, dated the 31st January 1985, the following changes are made :—

For

Joint Secretary/Additional Secretary in the Ministry of Home Affairs dealing with tribal welfare.

Read

Joint Secretary/Additional Secretary in the Ministry of Welfare dealing with Tribal Welfare.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

All State Governments/All Ministries of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Prime Minister's Secretariat, Secretary to President of India, C.A.G. of India, All Accountant Generals & Comptrollers, Deputy Controller of Accounts (Rehabilitation) Mansingh Road, New Delhi, Railway Board, DGS&D, Chief Administrator, Dandakaranya Project, Koraput (Orissa).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. BASU, Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 30th April 1986

RESOLUTION

No. F.6(1)-PD/86.—It is announced for general information that during the year 1986-87, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 12% (Twelve per cent) per annum. This rate will be in force during the financial year beginning on 1-4-1986.

The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The State Railway Provident Fund.
3. The General Provident Fund (Defence Services).
4. The Contributory Provident Fund (India).
5. The All India Services Provident Fund.

6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.

7. The Defence Services Officers Provident Fund.

8. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

9. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.

10. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.

11. Other Miscellaneous Provident Funds.

2. There will be no separate incentive bonus. In cases where withdrawals (not in the nature of temporary advances) are made during the year an amount equivalent to one per cent of the amount withdrawn, rounded to the nearest rupee, shall be deducted from the interest creditable to the account of the subscriber.

3. ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

V. BALASUBRAMANIAN, Addl. Budget Officer

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 12th March 1986

RESOLUTION

Subject : Population Education Programme (Formal Education System).

No. F.12-22/85-Sch.4.—Government had set up a National Steering Committee to oversee the implementation of the population Education Programme (formal education system) vide Resolution No. F. 12-14/80-Sch. 4, dated the 1st August, 1980. It has been decided to reconstitute the National Steering Committee. Its functions shall be as follows :—

(i) To advise the Government of India on all matters relating to the population education programme.

(ii) To ensure implementation of the programme at the National and State Levels.

(iii) To coordinate between Central and State Governments and other implementing agencies.

(iv) To review and evaluate from time to time the progress of implementation of the programme.

2. The Committee shall consist of the following :—

Chairman :

1. Secretary,
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development.

Members :

2. Director
NCERT, New Delhi.

3. Adviser (Education)
Planning Commission.

4. Financial Adviser
Department of Education.

5. Joint Secretary,
Ministry of Health and Family Welfare.

6. Joint Secretary,
Ministry of Information and Broadcasting.

7. Secretary,
University Grants Commission.

8. Chairman,
Central Board of Secondary Education.

9. Dr. Sunil Misra,
Director (Audience & Research Unit),
A.I.R., New Delhi.

10. Smt. Avabai B. Wadia,
President, Family Planning Association of India,
Bombay.

11. Prof. T. S. Mehta,
World Bank Consultant.

12. Project Co-ordinator,
N.C.E.R.T.,
New Delhi.

13. Director,
Directorate of Adult Education.

Member-Secretary

14. Joint Secretary (Schools),
Department of Education.

3. The Committee shall determine its own procedure of work. It may appoint committees and sub-committees and may co-opt individuals for a particular meeting of the Committee and to serve on its sub-committees.

4. The duration of the Project is five years (April, 1985 to March, 1990). The term of the Members of the Committee shall expire on 31st March, 1990.

5. The Committee shall meet as often as necessary but not less than twice a year.

ORDER

ORDERED that a copy of Resolution be sent to all State Governments, Union Territory Administration, all Ministries/Departments of the Government of India, University Grants Commission, Prime Minister's Office, National Council of Educational Research and Training.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Y. N. CHATURVEDI, Jt. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 23rd April 1986

RESOLUTION

F. No. E-11016/5/85-Hindi.—The Govt. of India have decided to constitute a Hindi Salahkar Samiti for the Department of Coal in the Ministry of Energy. The composition, functions and tenure etc. of the Samiti will be as under :

Composition

Chairman

Minister of Energy

Members

1. Shri Mahendra Prasad, M.P.
2. Shri Vitthal Rao Jadhawa, M.P.
3. Shri Naresh Chandra Chaturvedi, M. P.
4. Shri Raj Kumar Rai, M.P.
5. Shri Hukam Dev Narain Yadav, M.P.
6. Shri Vijay Kumar Yadav, M.P.
7. Shri Ganga Sharan Singh,
Chairman,
Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Singh,
New Delhi.
8. Shri Anjneya Sharma,
Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha,
Hyderabad (Andhra Pradesh).
9. Shri Shyama Charan Tiwari,
2-A, Sarojini Naidu Marg,
Lucknow (Uttar Pradesh).
10. Shri Madhukar Rao Choudhary,
Chairman, Rastrabhasha Prachar Samiti,
Wardha (Maharashtra).
11. Dr. Damodar Khadse,
4-B/18, Sudama Apartments,
Bombay-Pune Road, Kolaba-Thane.
Pin-400605.
12. Shri Vishnu Dutt Mishra,
Gupta Bhavan, Ashok Chowk,
Budh Nagar,
Nagpur (Maharashtra).

13. Dr. Saroj Aggarwal,
Lecturer,
Uppal Road,
Hyderabad (Andhra Pradesh).

14. Shri Ashoka Chakradhar,
Lecturer,
Jamia Milia University,
Delhi.

15. Secretary, Department of Coal.

16. Secretary, Department of Official Language.

17. Additional Secretary, Department of Coal.

18. Joint Secretary, Department of Official Language

Member-Secretary

19. Joint Secretary (Official Language), Department of Coal.

Members

20. Coal Mines Provident Fund Commissioner.

21. Chairman, Coal India Limited.

22. CMD, Bharat Coking Coal Limited.

23. CMD, Eastern Coalfields Limited.

24. CMD, Central Coalfields Limited.

25. CMD, South Eastern Coalfields Limited.

26. CMD, Northern Coalfields Limited.

27. CMD, CMPDIL.

28. CMD, Neyveli Lignite Corporation Limited.

29. CMD, Western Coalfields Limited

2. *Functions*

The Samiti will advise the Ministry of Energy (Department of Coal) on matters relating to progressive use of Hindi for official purposes and allied issues.

3. *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of its composition, provided that :—

(a) a member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(b) The ex-officio members of the Samiti shall continue, as such, only till they hold the office by virtue of which they have gained membership of this Samiti.

(c) a member appointed to the Samiti in any mid-term vacancy shall hold office for the residue of the term of three years.

4. *General*

(i) The Samiti may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-committees, as may be deemed necessary.

(ii) Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meeting at any other station also.

(iii) The non-official members will be paid according to the rules travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the sub-committees of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Committee, State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's office, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. S. DUBEY, Jt. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 17th April 1986

RESOLUTION

No. 22/7/80-P.I.—In pursuance of the decision of the Narmada Water Disputes Tribunal, the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee was constituted vide erstwhile Ministry of Irrigation's Resolution No. 22/7/80-P.I., dated the 4th September, 1980. Para 2 of the Resolution giving composition of the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee is amended as under :—

(a) For existing entries (i) & (v) the following shall be substituted .

"(i) The Secretary to the Govt. of India, Incharge of the Water Resources,

Chairman

(v) The Financial Advisor in the Ministry of Water Resources."

Member

(b) For the existing concluding portion, the following shall be substituted :—

"The Chairman may co-opt any other Member."

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments, Ministries/Departments of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, Prime Minister's Office, President's Sectt. and Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazette for general information.

B. SEN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986